

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या

124/2018

कैम्प ग्राम पंचायत 3225/2

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण,

सोना

5/1/2018

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 24/5/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री उत्तम देवी पुत्र देवीलाल जाति उत्तम निवासी सोना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम सोना के खाता संख्या/खसरा नम्बर 648 656 657 में श्री उत्तम देवी पुत्र देवाराज जाति उत्तम अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम उत्तम देवी पुत्र देवीलाल है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प सोना में पेश करे। पत्रावली कैम्प सोना में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प सोना में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम सोना तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 648/656/657 में वादी श्री उत्तम देवी पुत्र देवाराज निवासी सोना की जगह वादी का सही नाम उत्तम देवी पुत्र देवीलाल जाति उत्तम निवासी सोना दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/5/18 को सरे आम कैम्प सोना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)